संख्या : 3/2025/बी-1-201/दस-2025

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक : 30 जनवरी, 2025

विषय : एस.एन.ए. स्पर्श योजना के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की स्वीकृत धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1/2025/बी-1-156/दस-2024-25, दिनाँक 21 जनवरी, 2025 के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही **SNA - SPARSH** के माध्यम से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं । इसी क्रम में वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-एस-3-154/दस-2024-10-22099/36/2024-25, दिनाँक 11 जुलाई, 2024 द्वारा साईबर ट्रेजरी का गठन किया गया है ।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की ऐसी समस्त स्टेट लिंक्ड स्कीम्स (**SLS**), जिन्हें **SNA - SPARSH** प्रणाली पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है, के आहरण हेतु सम्बन्धित विभागीय आहरण एवं वितरण अधिकारी को पूर्व से आवंटित डी.डी.ओ. कोड संख्या को साईबर ट्रेजरी से लिंक किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं ।

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या : 3/2025/बी-1-201(1)/दस-2025, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ ।
3- समस्त विशेष सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश ।
5- समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, वित्त विभाग ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव ।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।